

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 88/2024

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सुआदेवी पत्नी मेघाराम जाति घासी
2. जीयाराम पुत्र हेराजराम जाति जाट
3. भंवरीदेवी पत्नी जीयाराम जाति जाट
4. भंवराराम पुत्र जुजाराम जाति प्रजापत, निवासी पयला कलां तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा

1. तहसीलदार सिणधरी
2. सेनाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री जोगराज पोटलिया प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 एकतरफा।

आदेश

दिनांक- 17.10.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 522/8, 522/5, 522/3, 884/522 रकबा कमशः 0.1618, 0.3236, 0.1618, 0.2427 हैक्टेयर राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां तहसील सिणधरी में अवस्थित है कि मूल खसरा 522 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत है, जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 522/8, 522/5, 522/3, 884/522 रकबा कमशः 0.1618, 0.3236, 0.1618, 0.2427 हैक्टेयर राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 522 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसराने की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावे।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 522/8, 522/5, 522/3, 884/522 रकबा कमशः 0.1618, 0.3236, 0.1618, 0.2427 हैक्टेयर राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 522 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसराने की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत के विपरित लट्टा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 से होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काशत से विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लट्टा में तरमीम होनी चाहिए ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहे और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लट्टा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काशत के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 522/8, 522/5, 522/3, 884/522 रकबा कमशः 0.1618, 0.3236, 0.1618, 0.2427 हैक्टेयर राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां तहसील सिणधरी भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीशसिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी